बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त

आज दिनांक 22.02.2017 को दिन में 2:00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें कृषि विभाग, उद्यान, पशुपालन, भूमि संरक्षण, दुग्ध विकास, मत्स्य विभाग एवं सिंचाई विभाग द्वारा संचालित योजनायों व माननीय मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता बिन्दुओं वाली योजनायें यथा सोलर फोटोवोल्टिक इरीगेशन पम्प की स्थापना, किसान पारदर्शी योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विभाग योजना की समीक्षा की गयी। बैंठक में कृषि सेक्टर के समस्त अधिकारियों के साथ–साथ कृषि विकास में लगें क्षेत्रीय कर्मचारियों– प्राविधिक सहायक एवं संविदा पर कार्यरत समस्त बी0टी0एम0, ए0टी0एम0, सलाहकार तथा विषय वस्तु विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया। बैंठक में उपस्थिति अधिकारियों का विवरण निम्नवत है–

क्र0सं.	नाम अधिकारी	पदनाम
1	श्री विजय किरन आनन्द	जिलाधिकारी
2	श्री प्रताप सिंह भदोरिया	मुख्य विकास अधिकारी
3	श्री विजय शंकर	उप कृषि निदेशक–एटा
4	श्री राम कृष्ण	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड़–एटा
5	श्री प्रेमशंकर सिंह	ड्रेनेज खण्ड
6	श्री विनोद कुमार शर्मा	जिला उद्यान अधिकारी–एटा
7	श्री राजीव गुप्ता	सहायक निदेशक(मत्स्य)–एटा
8	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी	दुग्ध संघ–एटा
9	डा0 राजेश कुमार	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी–एटा
10	श्री भारत भूषण	सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड–एटा
11	डा0 सर्वेश कुमार यादव	जिला कृषि अधिकारी–एटा

12	श्री वाई0पी0 सिंह	क्षेत्रीय प्रबन्धक फील्ड मैनेजर इफको–एटा
13	श्री पपेन्द्र कुमार	सहायक प्रबन्धक कृभको–एटा
14	श्री हरिपाल सिंह	जिला प्रबन्धक यू0पी0एग्रो–एटा
15	श्री संदीप कुमार	जिला सूचना अधिकारी–एटा
16	श्री आशीष कुमार सिंह	जिला कृषि रक्षा अधिकारी–एटा
17	श्री राज कुमार	अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण विद्युतखण्ड–एटा
18	श्री राजेश कुमार शर्मा	अवर अभियन्ता सिंचाई खण्ड हाथरस/एटा
19	श्री वीरेन्द्र सिंह	वैज्ञानिक के0वी0के0 अवागढ–एटा
20	श्री देवेन्द्र सिंह	सलाहकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–एटा
21	श्री सुधीर कुमार सिंह	विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विभाग–एटा
22	श्री रघुवीर सिंह	विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विभाग–एटा
23	श्री मौहर सिंह वर्मा	प्रभारी/उप परियोजना निदेशक(आत्मा)
24	श्री अरविन्द कुमार सिंह	विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विभाग–एटा

उप कृषि निदेशक द्वारा बैठक में प्रतिभाग करने वाले सभी अधिकारियों के स्वागत के साथ बैठक प्रारम्भ की गयी।

1 : **कृषि के क्षेत्रीय प्रसार कर्मियों के भ्रमण का रोस्टर तैयार करने के सम्बन्ध में निर्देश**– क्षेत्रीय स्तर पर कृषि विभाग के तैनात प्राविधिक सहायक एवं बी0टी0एम0 एवं ए0टी0एम0 के लिए न्याय पंचायतवार/ग्राम पंचायतवार भ्रमण का रोस्टर शीघ्र तैयार करने का निर्देश उप कृषि निदेशक को देते हुए अपेक्षा की गयी कि रोस्टर ऐसा तैयार किया जाय कि ग्राम विकास विभाग के ग्राम विकास अधिकारियों/पंचायत सचिव के साथ समन्वयक रखा जाय। कर्मियो द्वारा सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक प्रतिदिन ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों एवं ग्रामीणों की समस्याओं की सूचना प्राप्त कर उसका निवारण करेगें, तत्पश्चात 12:00 बजे से 3:00 बजे तक उक्त ग्राम में किसानों के साथ बैठक कर उनको कृषि तकनीक से अवगत कराते हुए, उनकी समस्या का समाधान करेगें। इन प्रसार कर्मियों को प्रत्येक माह कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक सामयिक कृषि तकनीक का प्रशिक्षण देगें। जिसका प्रसार कृषको के बीच किया जायेगा। क्षेत्रीय स्तर पर इन कर्मियों को चैक लिस्ट के अनुसार कार्य का निस्तारण करना होगा, जिसकी सूचना इनके द्वारा उप कृषि निदेशक को ही जायेगी, तद्नुसार उक्त का निस्तारण उप कृषि निदेशक के माध्यम से कृषि सेक्टर के विभाग करेगें। चैक लिस्ट के बिन्दु निम्नवत है–

(I) **सिंचाई**– राजकीय नलकूप की स्थिति की सूचना, नहर, रजवाहा, माइनर, टेल तक पानी पहुँचने की स्थिति, सिल्ट सफाई की स्थिति, लघु सिंचाई की सूचनाये/समस्याऐं इत्यादि।

(II) **कृषि निवेश**– जायद व खरीफ में प्रजातिवार बीज की मॉग, उर्वरक व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से बटवाने/प्राप्त करने हेतु प्रचार–प्रसार करना।

(III) **राजस्व विभाग समस्या का समाधान**– लेखपाल के साथ सहयोग कर चकरोड/नाली आदि की समस्या व निराकरण कराना।

(IV) **बैंक सम्बन्धी समस्या**– किसानो के बीच किसान क्रेडिट कार्ड व फसली ऋण के सम्बन्ध में जानकारी देना एवं उनकी समस्या का निवारण करना।

(V) **कृषि रक्षा कार्यक्रम**– कृषको को कृषि रक्षा के कार्यक्रम की जानकारी देना एवं उनकी समस्या का समाधान करना।

(VI) **फसल बीमा** – कृषको के बीच फसल बीमा की महत्ता की जानकारी कराना तथा देवीय आपदा से फसलो के नुकसान की सूचना एकत्रित करना एवं फसल बीमा करने में सहयोग करना।

(VII) **विद्युत समस्या**– बिजली आपूर्ति की स्थिति तथा ट्रान्सफार्मर, खम्बा एवं तार के सम्बन्ध में शिकायतें एकत्रित करना तथा उनका निवारण करना।

(VIII) **कृषक पंजीकरण की स्थिति**– किसानो के पंजीकरण की स्थिति की जानकारी करना तथा शेष कृषको के पंजीकरण कराने में सहयोग करना।

(IX) **कृषि यन्त्रीकरण की स्थिति**– कृषक के पास कौन–कौन से यन्त्र उपलब्ध है, सूचना एकत्रित करना तथा विभागीय योजनायों में यन्त्र खरीद पर अनुदान की जानकारी देना एवं उनको क्रय करने में सहयोग करना।

(X) **फसल विविधीकरण की स्थिति**– वर्तमान में कृषक कौन–कौन सी फसलें उगा रहा है, खाद्यान फसलो के स्थान पर उद्यानीकरण/तिलहनी/दलहनी फसलो को उगाने के लिए इच्छुक है, यदि है तो क्षेत्रफल व फसल का नाम की सूचना एकत्र कर बुवाई में सहयोग करना।

(XI) **मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन**– कृषक ने मिट्टी का परीक्षण कराया है तो संस्तुति के अनुसार उर्वरको का प्रयोग कर रहा है या नहीं जैविक खेती के लिए इच्छुक है तो विवरण एकत्र करके कार्यवाही करावें।

(XII) **पशु प्रबन्धन**– पशुओं का टीकाकरण हो रहा है या नही, तो इनकी सूचना एकत्रित कर समाधान करावे।

(कार्यवाही– उ0कृ0नि0/मु0पशु0चि0अ0/जि0उ0अ0/सहा0अभि0लघु सिं0/अधि0अभि0नल0)

2 : <u>कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना</u>– उप कृषि निदेशक ने अवगत कराया है, कि प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में जनपद के 16 लक्ष्य के सापेक्ष 9 लाभार्थियों का चयन कराके कैनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, एटा में प्रशिक्षण करा दिया गया है एवं प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षित लाभार्थियों को बीज, उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन विक्री हेतु निबन्धन प्रमाण पत्र जारी करा दिया गया है। एक लाभार्थी को ऋण स्वीकृत हो चुका है शेष के लिए लीड बैंक मैनेजर से सम्पर्क कर ऋण स्वीकृत कराने के लिए कार्यवाही की जा रही है, उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया गया कि लीड बैंक मैनेजर एवं सम्बन्धित बैंक शाखाओं के प्रबन्धकों से सम्पर्क करें शेष लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत कराया जाय तथा मुख्य विकास अधिकारी एटा को जानकारी देते हुये विशेष परिस्थितियों में लीड़बैक मैनेजर एवं सम्बन्धित बैंक मैनेजरों की बैठक उनकी अध्यक्षता में कराके लक्ष्य के सापेक्ष ऋण स्वीकृत करावे तथा लक्ष्य के सापेक्ष शेष अन्य लाभार्थियों का चयन शीघ्र पूर्ण करके कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी/कृषि रक्षा अधिकारी/लीडबैंक मैनेजर)

3 : <u>किसान क्रेडिट कार्ड व फसली ऋण</u>– बैठक में उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य–36505 के सापेक्ष 33703 कृषको का किसान क्रेडिट कार्ड बनाया चुका है जिनको रू0 113295.59 लाख ऋण के सापेक्ष 113276.00 लाख का फसली ऋण वितरित किया जा चुका हैं, उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया गया है, कि लक्ष्य के अनुसार 99.98 प्रतिशत तो ठीक है, किन्तु अभी भी बहुत से कृषक फसली ऋण व किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित है, जिनके लिए जिला सहायक निबन्धक(सहकारिता) व लीड़बैंक मैनेजर से वार्ता करके उनके माध्यम से विकास खण्ड़ स्तर पर किसान क्रेडिट कार्ड का कैम्प आयोजित करावे तथा कैम्प में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड व फसल बीमा की महत्ता के बारे में जानकारी दी जाय।

(कार्यवाही– उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी/सहायक निबन्धक/लीडबैंक मैनेजर)

4 : <u>किसान पारदर्शी योजना</u>– बैठक में उप कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि जनपद में इस वर्ष पंजीकरण का लक्ष्य 125514 था जिसके सापेक्ष अब तक 121624 कृषको का पंजीकरण किया जा चुका हैं, पंजीकरण के सम्बन्ध में उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया गया कि सभी कृषको का पंजीकरण कराया जाये, जिससे योजनायों का लाभ उन्हे भी मिल सके।

गेहूँ बीज वितरण के सम्बन्ध में उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद में कृषि विभाग, सहकारिता, यू0पी0एग्रो0, इफको एवं कृभको के माध्यम से कृषको में बीज वितरित किया गया है, जिसके अनुदान की धनराशि का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषको के बैंक खातों में

स्थानान्तरित की जा रही है, डी0बी0टी0 की प्रगति 64 प्रतिशत रही है, शेष का भुगतान शीघ्र कराया जा रहा है, उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिया गया कि मार्च के प्रथम सप्ताह तक कार्यवाही को पूर्ण कर लिया जाये।

(कार्यवाही– उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी/कृषि रक्षा अधिकारी/सहा0नि0सहकारिता)

5 : **<u>मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना</u>**– इस योजना के सम्बन्ध में उप कृषि निदेशक ने बताया गया कि इस वर्ष मृदा नमूना का लक्ष्य 61613 के सापेक्ष 61234 की पूर्ति हो चुकी है, शेष की पूर्ति अतिशीघ्र करा दी जायेगी। इनमें से 44352 नमूनो का अब तक विश्लेषण हो चुका है तथा 99491 कृषको को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जा चुके हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया कि किसानों में कार्ड वितरण के समय प्रसार कर्मियों द्वारा ग्रामीण स्तर पर कृषको को कार्ड में अंकित आंकडो की जानकारी कराई जाय संस्तुति के अनुसार उर्वरक का प्रयोग कराने का सुझाव अवश्य दिया जाय, बैठक में यह जानकारी प्राप्त हुई कि अलीगंज में मृदा लैब बन्द पडी है, उसे चालू कराने के लिये कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराई जाय।

(कार्यवाही– उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी/कृषि रक्षा अधिकारी/सहा0नि0मृ0परी0)

6 : **<u>सोलर फोटोवोल्टिक इरीगेशन पम्प स्थापना की योजना</u>**– उप कृषि निदेशक ने बताया कि इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत 27 लक्ष्य के सापेक्ष 26 सोलर पम्प स्थापित किया जा चुका है, जो सही स्थिति में चल रहे है। एक सोलर पम्प की स्थापना शीघ्र करा दी जायेगी, सामग्री प्राप्त हो चुकी है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिया गया है, कि अगले वित्तीय वर्ष में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अपने यहॉ कामधेनु डेयरी वाले पशुपालको व सहायक निदेशक(मत्स्य) मत्स्य पालको के यहॉ तथा उद्यान अधिकारी अपने उद्यान के लाभार्थियों के यहॉ सोलर फोटोवोल्टिक पम्प की स्थापना उप कृषि निदेशक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही– उप कृषि निदेशक/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी/सहायक निदेशक(मत्स्य)/नेडा)

7 : **<u>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना</u>**– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की विभागवार समीक्षा की गयी, जिसमें कृषि विभाग द्वारा 27.21 लाख के सापेक्ष अब तक 36.03 लाख प्रगति की गयी है, उद्यान विभाग द्वारा रू0 33.784 लाख के सापेक्ष रू0 16.307 लाख व पशुपालन विभाग द्वारा रू0 19.01 लाख के सापेक्ष मात्र रू0 0.55 लाख व्यय किया गया हैं, उप कृषि निदेशक ने बताया कि इस योजना में कृषको को प्रमाणित बीज वितरण पर डी0बी0टी0 के माध्यम से अनुदान दिया जा रहा है, जो शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। उद्यान विभाग एवं पशुपालन विभाग की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है, दोनों विभागो के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मार्च के प्रथम सप्ताह तक लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति सुनिश्चित करें, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी ने बताया कि उनके यहॉ रोग निदान प्रयोगशाला का निर्माण होना था, जो चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कार्य पूर्ण नही कराया जा सका। इस मद में 17.09 लाख धनराशि आंवटित है, इसके व्यय के लिये इन्हे निर्देश दिया गया कि पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुये पत्रावली प्रस्तुत करें, तद्नुसार प्रगति करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– उ0कृ0नि0/मु0पशु0चि0अ0/जि0उ0अ0/सहा0अभि0लघु सिं0/अधि0अभि0नल0)

8 : **<u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना</u>**– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आवंटित धनराशि 130.22 लाख के सापेक्ष रू0 75.06 लाख व्यय हुआ है, जिसमें क्लस्टर प्रदर्शन, बीज वितरण, यन्त्र वितरण, प्रशिक्षण व संविदा पर कार्यरत कर्मियों का मानदेय पर व्यय किया गया है, उप कृषि निदेशक के बताया कि अवशेष मदों में व्यय शीघ्र कर लिया जायेगा, उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया गया है मार्च के अन्त तक शत–प्रतिशत व्यय कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी/कृषि रक्षा अधिकारी)

9 : **<u>कृषि सूचना तन्त्र के सुदृणीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम</u>**– उप कृषि निदेशक ने अवगत कराया कि इस योजना में रू0 8.08 लाख का आवंटन प्राप्त है, जिसके अन्तर्गत विकास खण्ड स्तरीय कृषक गोष्ठियों का आयोजन एवं कृषि तकनीकी के प्रसार का कार्य किया जा रहा है, कार्य सम्पन्न

कराया जा चुका है वित्तीय प्रगति की कार्यवाही की जा रही है, इस योजना में प्रचार–प्रसार एवं गोष्ठियों के आयोजन के लिए निर्देश दिया गया कि ग्राम/न्याय पंचायत/ब्लॉक स्तर पर भविष्य में आयोजन कराया जाय, जिससे किसानों को लाभ प्राप्त हो सके।

10 : <u>नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम योजना</u>– उप कृषि निदेशक ने बताया कि इस योजना में 32.12 लाख धनराशि प्राप्त है, जिसके सापेक्ष 26.00 लाख व्यय किया जा चुका है शेष शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

11 : <u>बीज ग्राम योजना</u>– इस योजना में 4.323 लाख आवंटन प्राप्त है, जिसमें 2.57 लाख व्यय कर लिया गया है, उप कृषि निदेशक ने बताया गया कि शेष अन्य कार्य जैसे गोष्ठी आयोजित कराकर शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

12 : <u>उ0प्र0 वाटर रीस्ट्रेक्चरिंग चरण–2 योजना</u>– इस योजना के सम्बन्ध में उप कृषि निदेशक ने अवगत कराया कि योजना का कियान्वयन नहरीय क्षेत्रों में कृषको का समूह गठित करके एवं वाटर स्कूल का गठन करके कराया गया है, जहॉ पर किसान कृषि की नवीन तकनीक अपना कर सिंचाई के पानी के उचित उपयोग की जानकारी क्षेत्रीय स्तर पर प्राप्त कर कराते है इस योजना में प्राप्त आवंटन 3.47 लाख के सापेक्ष 2.87 लाख व्यय हो चुका है, शेष शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

(कार्यवाही– उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी)

13 : <u>आत्मा योजना</u>– उप कृषि निदेशक ने योजना के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करते हुये बताया कि इस वर्ष अब तक 47.26 लाख आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसके विरूद्ध 38.83 लाख व्यय किया जा चुका है शेष व्यय शीघ्र करा लिया जायेगा इस योजना में धनराशि कम आवंटित होने के कारण अभी तक कृषक अध्ययन/भ्रमण का कार्यक्रम पूर्ण नहीं कराया जा सका है। धनराशि कम होने कारण बी0टी0एम0/ए0टी0एम0 को मानदेय का भुगतान नही किया जा सका है, इस सम्बन्ध में उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया गया कि अधोहस्ताक्षरी के स्तर से सम्बन्धित स्तर पर पत्र जारी कराये तथा धनराशि आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न करायें। धनराशि प्राप्त होते ही कृषको का भ्रमण अन्य राज्यों में जहॉ कृषि के क्षेत्र मे काफी अच्छा कार्य हुआ है वहॉ कराया जाय। इस योजना की पिछली बैठक के सम्बन्ध में जानकारी नहीं करायी जा सकी, सम्भवतः काफी समय से आयोजित नही हुई है। इस सम्बन्ध में उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया गया कि इस बैठक में योजना के सम्बन्ध में समीक्षा को आत्मा योजना की बैठक माना जाय तथा अगली बैठक भविष्य में आयोजित अवश्य करा ली जाय। उक्त के अतिरिक्त योजना में किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकी का प्रचार–प्रसार कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिको के द्वारा दिये गये सुझावो/पम्पलेट आदि छपवाकर कृषको को क्षेत्रीय पर कर्मचारियों के माध्यम से वितरित कराया जाय। गोष्ठी एवं अन्य कार्यक्रम ग्राम स्तर पर आयोजित कराया जाय, एक्पोजर विजिट में फील्ड स्तर के अच्छे कर्मचारियों को कृषको के साथ भ्रमण पर भेजा जाय। जिला उद्यान अधिकारी एवं सहायक निदेशक मत्स्य को योजना में कार्य करने के लिये वाहन हायरिंग के लिये भविष्य में धनराशि आवंटित अवश्य की जाय।

(कार्यवाही– उ0कृ0नि0/मु0पशु0चि0अ0/जि0उ0अ0/स0नि0मत्स्य)

14 : <u>कृषि निवेश व्यवस्था</u> – जिला कृषि अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में बीज, उर्वरक व कृषि रक्षा रसायनों की लक्ष्य एवं मॉग के अनुसार व्यवस्था रखी जाय। उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया गया है, जायद एवं खरीफ 2017 में बीज/उर्वरक की कमी नहीं होनी चाहिए। उर्वरको में मिलावटखोरी व कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, इसके लिये लगातार छापा डालकर नमूना ग्रहण किया जाय तथा टेस्ट कराकर अधोमानक की स्थिति में सम्बन्धित विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

राजकीय कृषि बीज भण्डारों का जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/सत्यापन कराने का कार्यक्रम मेरें स्तर से शीघ्र जारी किया जाय। इसके साथ ही इफको/कृभको के उर्वरकों का आवंटन मेरे संज्ञान में लाते हुये जारी कराया जाय।

(कार्यवाही–उ0कृ0नि0/जि0कृ0अ0/कृ0र0अ0/सहायक निबन्धक इफको/कृभको)

15 : <u>पशुपालन विभाग</u> – पशुपालन विभाग में संचालित कामधेनु डेयरी व कॉमर्शियल लेयर्स फार्मिंग एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्मिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि 30 हजार पक्षी का लक्ष्य 01 के विरूद्ध अब तक एक भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये है, जबकि क्षेत्रीय स्तर पर सम्पर्क किया गया फिर भी कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ। कॉमर्शियल लेयर्स फार्मिंग (10 हजार पक्षी) में 10 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये है, जिसमें से 01 इकाई को ऋण स्वीकृत हो चुका है तथा 03 प्रार्थना पत्र बैंको ऋण स्वीकृत हेतु लम्बित है। इस सम्बन्ध में मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया गया कि अग्रणी बैक प्रबन्धक से मिलकर शीघ्र ऋण स्वीकृत कराकर प्रगति करावें। कामधेनु डेयरी में कामधेनु की 05 मिनी कामधुने की 30 तथा माइक्रो कामधुने की 40 लक्ष्य के सापेक्ष 33 इकाई क्रिया शील कराई गयी है। इस सम्बन्ध में इन्हे निर्देश दिया गया कि बैंक प्रबन्धको को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बैठक कराकर समस्या का समाधान शीघ्र किया जाय।

(कार्यवाही– मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/लीडबैंक मैनेजर)

16 : <u>भूमि संरक्षण कृषि, भूमि संरक्षण अधिकारी(रामगंगा कमाण्ड) एवं भूमि सुधार निगम</u>– इन विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी तथा निम्नवत निर्देश दिया गया– परियोजना से पूर्व की स्थिति एवं सुधार के पश्चात की स्थिति के फोटोग्राफ तैयार कराए जायॅ। मार्च के द्वितीय सप्ताह तक शत–प्रतिशत प्रगति कर ली जाय। वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के चयनित किए गये ग्रामो/परियोजनाओं का पूर्ण विवरण उप कृषि निदेशक को शीघ्र उपलब्ध करा दें, जिससे जिला स्तरीय अधिकारियों से निरीक्षण/सत्यापन कराया जा सकें। उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया गया कि निरीक्षण हेतु अधोहस्ताक्षरी के साथ–साथ, मुख्य विकास अधिकारी कृषि विभाग के सभी अधिकारियों एवं सिंचाई, उद्यान, पशुपालन के अधिकारियों का एक कार्यक्रम तैयार कर आदेश निर्गत करावे, जिसमें निरीक्षण कर्त्ता अधिकारी डी0पी0आर0 के अनुसार कार्य का निरीक्षण/सत्यापन करेगें। तथा किसानों का फीडबैक लेकर रिपोर्ट उप कृषि निदेशक प्रस्तुत करेगे तथा उप कृषि निदेशक संकलित रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

(कार्यवाही– उ0कृ0नि0/भू0सं0अ0/भू0सं0अ0(जल संसाधन)/परि0प्रबन्धक(सोडिक))

17 : <u>उद्यान विभाग</u>– उद्यान विभाग की समीक्षा में उद्यान अधिकारी को निर्देश दिया गया है ,कि वह उद्यानीकरण के लिये 5 वर्षीय योजना बनावे तथा उसकी नर्सरी की स्थापना करावें। इस कार्य के लिए मनरेगा से धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। खास करके परियोजना पूर्ण करावे अलीगंज क्षेत्र में नर्सरी स्थापना अवश्य कराई जाय जिससे किसानो को लाभ प्राप्त हो सके।

(कार्यवाही– जिला उद्यान अधिकारी)

18 : <u>दुग्ध संघ(पी0सी0डी0एफ0)</u>– इस विभाग की समीक्षा के समय प्रबन्धक दुग्ध संघ ने बताया कि जनपद का डेयरी का प्लान्ट खराब है अभी तक ठीक नही होने कारण दुग्ध क्रय की स्थिति ठीक नहीं है, प्रबन्धक को निर्देश दिया गया कि वह प्लान्ट का स्टीमेट बनाकर शीघ्र कार्यवाही करे। यदि धनराशि की आवश्यकता हो तो जनपद के क्रिटिकल गैप मद से आवंटन की पत्रावली प्रस्तुत करें। यदि कार्य नही करवाते है तो आपके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु शासन को सन्दर्भित किया जा सकता है।

(कार्यवाही– मैनेजर पी0सी0डी0एफ0/डेयरी)

19 : <u>सिंचाई विभाग</u>– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग ने नहर संचालन व सिल्ट सफाई की प्रगति के बारे में विवरण प्रस्तुत किया, उन्हे निर्देश दिया गया कि इस वर्ष अप्रैल/मई में शत–प्रतिशत सिल्ट सफाई कराली जाय सिल्ट सफाई में किसी प्रकार की अनियमिता नहीं होनी चाहिए। मुख्य विकास अधिकारी ने इन्हे निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से मनरेगा की धनराशि से सिल्ट सफाई कार्य कराया जाय, जिससे सफाई भी अच्छी होगी व टेल तक पानी की आपूर्ति भी हो सकेगी। क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया है, कि अधिकतर नहर/रजवाहा की टेलो पर पानी नहीं पहुॅच रहा है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई को निर्देश दिये गये कि नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर टेंलो तक पानी पहॅुचाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई/नलकूप)

बैठक में उप कृषि निदेशक को निम्न बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश दिया गया।

(I) प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को आयोजित होने वाले **किसान दिवस** में अपरान्ह 2:00 बजे से कृषको के जाने के पश्चात, विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित करावें।

(II) प्रत्येक क्षेत्रीय प्रसार कर्मी को खाद्यान फसलो के स्थान पर फसल विविधीकरण कराने का निर्देश जारी करें, जिसमें 05 हेक्टेयर उद्यानीकरण, 5–5 हेक्टेयर में खरीफ व रबी में दलहन/तिलहन फसलें कराने का लक्ष्य दिया जाय।

(III)प्रत्येक क्षेत्रीय प्रसार कर्मी को 200 गैर ऋणी कृषको का फसल बीमा कराने का लक्ष्य आवंटित किया जाय।

(IV) जनपद में फसलो की बुवाई लाइन से कराने का निर्देश प्रसार कर्मियों को जारी किया जाय।

(V) जनपद में मृदा परीक्षण के परिणामों के आधार पर जीवांश कार्बन की मात्रा बढाने के लिये कम्पोस्ट एवं जैविक खादों के अधिकतम प्रयोग का प्रचार–प्रसार कराया जाय।

(VI) अगली समीक्षा बैठक में सभी निर्धारित 12 बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही की भी समीक्षा की जाय। इसकी तैयारी अभी से कर ली जाय।

(VII)किसान दिवस/कृषि सेक्टर की समीक्षा बैठको में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाय।

(कार्यवाही– उप कृषि निदेशक/प्रभारी वैज्ञानिक के0वी0के0 अवागढ़)

(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी,
एटा।

कार्यालय– जिलाधिकारी, एटा।

पत्रांक–उ0नि0/6023A/बैठक कार्यवाही/2016–17/दिनांक– 28/02/.2017

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, जनपद–एटा को इस निर्देश के साथ कि अपने उप सम्भाग में परिपालन सुनिश्चित करें।
2. जिला कृषि अधिकारी/कृषि रक्षा अधिकारी/भूमि संरक्षण अधिकारी/भूमि संरक्षण अधिकारी(जल संसाधन), एटा।
3. जिला उद्यान अधिकारी/सहायक निदेशक(मत्स्य), एटा।
4. परियोजना प्रबन्धक भूमि सुधार निगम/प्रबन्धक दुग्ध संघ/डेयरी, एटा।
5. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई/नलकूप/ग्रामीण विद्युत खण्ड, एटा।
6. जिला सहायक निबन्धक सहकारिता/प्रबन्धक इफको/कृभको/यू0पी0एग्रो, एटा।
7. जिला प्रबन्धक अग्रणी बैंक/परियोजना प्रबन्धक नेंडा, एटा।
8. प्रभारी वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र अवागढ़–एटा।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एटा को इस निर्देश के साथ कि कार्यवाही को बेवसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
10. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, एटा।
11. उप कृषि निदेशक, एटा को इस निर्देश के साथ कि कार्यवाही का परिपालन कराना सुनिश्चित करें।
12. संयुक्त कृषि निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
13. मुख्य विकास अधिकारी, एटा।

जिलाधिकारी,
एटा।